

एफ. सं. ए-31011/01/2013-सीएलएस-आई

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2014

कार्यालय आदेश सं. 21/2013

विषय: केन्द्रीय श्रम सेवा के जेएजी अधिकारियों की तैनाती/स्थानांतरण

राष्ट्रपति केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के निम्नलिखित जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) के अधिकारियों को पदोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से रू. 7600/- ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (रू. 15,600-39,100) में नियमित आधार पर पदोन्नत किए जाने पर जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) में सीनियर टाइम स्केल (अजजा) में नियुक्त करते हैं, जैसा प्रत्येक के सामने उल्लेख किया गया है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/श्री/श्रीमती)	से	को
1	2	3	4
1.	एस.के. सिन्हा	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), लखनऊ से पदोन्नति पर	उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर
2.	नसीमुल हक अहमद	उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), सोलापुर से पदोन्नति	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर
3.	एन. के. प्रसाद	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मुख्यालय, नई दिल्ली से पदोन्नति	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), इलाहाबाद [अगले आदेश तक कल्याण आयुक्त (मुख्यालय) के अलावा]
4.	एस.एस. चीमा	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली से पदोन्नति	निदेशक (प्रशिक्षण), सीएलसी कार्यालय, नई दिल्ली
5.	लॉरेंस हेरेंज	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), सीपीडब्ल्यूडी, गुवाहाटी से पदोन्नति	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), हैदराबाद

6.	पी.एन. खडसे	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), आयुध डिपो, शकूरबस्ती, नई दिल्ली से पदोन्नति	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर
7.	एन.एच. वावडे	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), सीक्यूए, किरकी, पुणे से पदोन्नति	कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), बैंगलौर
8.	शशी नेगी	उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, आर.के. पुरम, नई दिल्ली से पदोन्नति	श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली

2. केन्द्रीय श्रम सेवा के जेएजी को ऊपर दिए गए नाम अधिकारियों की पदोन्नति के समक्ष दायर की गई श्री एस. सरोज कुमार, एसटीएस अधिकारी ओ.ए. सं. 312/2012, के द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष दायर अंतिम परिणाम की शर्त पर होगी।

3. सभी संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे अधिकारियों को तत्काल कार्यभार मुक्त कर दें ताकि वे नई तैनाती के स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उनकी तैनाती के संबंधित संगठनों के माध्यम से, शीघ्रतः, अपनी कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करें। यदि कोई अधिकारी इस आदेश के जारी किए जाने से 30 दिन की अवधि के भीतर अपने पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता/करती है तो यह मान लिया जाएगा, वह जीएजी में पदोन्नति लेने का/की इच्छुक नहीं है और उन पर रिक्त पद उपलब्ध होने अथवा एक वर्ष तक, जो भी अधिक हो, के लिए रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा, इस ग्रेड में गैर कार्यात्मक उन्नयन, यदि उन्हें पूर्व में दिया गया हो, विनिर्धारित अवधि के समाप्त होने पर वापस ले लिया जाएगा।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बाबू चेरीअन)
भारत सरकार के उप सचिव
टैलीफैक्स: 011-23753079

वितरण:-

1. संबंधित अधिकारी
2. संबंधित प्रतिष्ठान/संगठन
3. एलईएम के निजी सचिव/राज्य मंत्री(एल एंड ई) के निजी सचिव/पीएसओ के सचिव(एल एंड ई)/एएस(एल एंड ई) के निजी सचिव/डीजीएलडब्ल्यू/संयुक्त सचिव (एपी)
4. सीएलसी(के.)/ प्रशासन-1 / एसई धारा, सीएलसी(के.), नई दिल्ली कार्यालय
5. निदेशक(सीआर)/डीएस(बीएस)/डीएस(एएफ)
6. सीएलएस-11 धारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
7. संघ लोक सेवा आयोग (अवर सचिव-एपी.1), धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली- डब्ल्यू.आर.टी. उनके पत्र सं. एफ 1/27(07)/2013-एपी.1 दिनांकित 22/11/2013
8. डीजीओएफ, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता
9. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
10. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), असैनिक कर्मी निदेशालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), सेना भवन, नई दिल्ली
11. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), मास्टर जनरल आर्डिनेंस शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना), सेना भवन, नई दिल्ली
12. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), डीजीक्यूए, रक्षा मंत्रालय, जी-ब्लॉक, नई दिल्ली
13. एनआईसी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
14. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल/ कार्यालय आदेश बंडल/अतिरिक्त प्रतियां

(बाबू चेरीअन)

भारत सरकार के उप सचिव